फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

राधेश्याम बनाम भगवान

किस्म मुकद्दमा 88 R.T. Act नं. 106/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट रेवाखेड़ी पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि राधेश्याम पुत्र मोहनलाल कौमी [illegible] भगवानलाल मोहनलाल कौमी द्वारा 88 का [illegible] पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा परतिया की भू० 355, 366 रकबा 0.14,011 कुल 0.25 में राधेश्याम के पक्ष राधेश्याम लिख पावे। इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जितेन्द्र कुमार पाण्डे) RAS पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible] सहायक कलेक्टर [illegible] (राज.) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	